# F.No.31-1/2015-Grants

Government of India Ministry of Culture National Archives of India Janpath, New Delhi-110 001 Email: archives@nic.in

### **MEMORANDUM**

The 2 7 APR 2015

In supersession of this Department's Memorandum F.No.31-1/2013-Grants dated the 9 September, 2013, Grants Committee for the Scheme of Financial Assistance for "Preservation and Conservation of Manuscripts, Rare Books, Old and Rare Documents, Records of History" to the registered voluntary organizations, colleges, libraries, museums, universities, deemed universities and individuals is hereby reconstituted for the financial year 2015-16 and 2016-17 with the following members:-

1. Director General of Archives
National Archives of India
Janpath
New Delhi-110 001

Chairperson

2. Director (A&A Division) Ministry of Culture Shastri Bhawan, New Delhi-110 001 Member

3. Mission Director, National Mission for Manuscripts 11 Mansingh Road, New Delhi- 110 001 - Member

4. Director,
(Library & Information)
Kalanidhi,
Indira Gandhi National Centre for Arts,
11 Mansingh Road,
New Delhi-110 001

Member

5. Sh. A.K. Mathur,
(Retired,
Superintending Archaeological Chemist,
Archaeological Survey of India),
K-40 A, Saket,
New Delhi-110 017

Member

6. Deputy Director of Archives National Archives of India Janpath, New Delhi-110 001

Member Secretary

Besides, the Chairperson may invite expert (s)/professional(s) to attend meetings of the Grants Committee and/or to tender their expert opinion on language/technical aspects of the proposal(s).

## 2. Tenure:

The term of the Members of the Grants Committee will be for a period of two financial years ending on 31 March, 2017. Members will be eligible for re-appointment for subsequent terms.

# 3. Meetings:

The meetings of the Grants Committee, at least two in a financial year, will be held in New Delhi. The date of meetings will be intimated to the Members of the committee well in advance.

#### 4. Functions:

The Grants Committee will consider various applications received from the voluntary organisations, educational institutions including private colleges, private libraries and museums, universities including deemed universities and individuals for allocation of funds for scientific preservation/conservation/repair/restoration, microfilming, listing, cataloguing, evaluation, translation, publication/ reprint of historical documents, charts, maps etc. in their custody as also purchase of manuscript/ rare books, as per conditions for grant under the scheme. In addition, financial assistance would be extended to archival photographs and prints (including oleographs and lithographs). The assistance would also be provided for purchase of items required for preservation of manuscript/rare books i.e. air conditioners, vacuum cleaners, fumigation chambers and chemicals for treatment. The Scheme would also provide financial assistance for digitization of manuscript/ rare books, archival photographs and prints (including support for digitization job work as well as purchase of equipments viz. camera, scanner, computer, printer, and copier).

#### 5. Procedure:

Applications in the prescribed format will be received through the State Level Screening Committee/State Archives in respect of the registered voluntary organisations and individuals as per the scheme. The State Level Screening Committee/State Archives will forward such applications to the Chairperson, Grants Committee, National Archives of India, Janpath, New Delhi-110 001 with their specific recommendations. Universities (including deemed universities) may, however, send their applications directly through their respective Registrar. In case of private colleges affiliated to the universities, the applications should be forwarded through the Registrar of the respective university. The applications should be accompanied by required documents as indicated in the scheme.

### 6. Allowances:

The Members attending the meeting will be paid TA/DA as admissible under the rules.

(Dr. M.A. Haque)
Deputy Director of Archives and
Member Secretary (Grants)
Government of India

To,

All Members with a copy of the Scheme.

मि. संख्या. 31-1/2015- अनुदान भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय अभिलेखागार जनपथ, नई दिल्ली-110 001 ईमेल: archives@nic.in

दिनांक .. 7. A.P.R. ? ? ...

## ज्ञापन

पूर्व ज्ञापन सं. 31-1/2013 अनुदान दिनांक 9 सितम्बर, 2013 का अधिक्रमण करते हुए पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनो जिसमें निजी महाविद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय तथा व्यक्ति आदि शामिल है, के पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख के संरक्षण हेतु वितीय सहायता योजना के लिए अनुदान समिति का एतदद्वारा दो वर्षो 2015-2016 एवं 2016-2017 के लिए पुनर्गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

महानिदेशक,
 राष्ट्रीय अभिलेखागार
 जनपथ
 नई दिल्ली- 110 001

अध्यक्ष

निदेशक,
 (ए. एण्ड. ए. डिविजन)
 संस्कृति मंत्रालय,
 शास्त्री भवन,
 नई दिल्ली- 110 001

सदस्य

मिशन निदेशक,
 राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन
 मानसिंह रोड,
 नई दिल्ली- 110 001

सदस्य

निदेशक,
 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र,
 मानसिंह रोड,
 नई दिल्ली- 110 001

सदस्य

5. श्री ऐ.के.माथुर, सेवानिवृत सुपरिनटेन्डिंग आरकेयलोजिकल कैमिस्ट, आरकेयलोजिकल सर्वे आफ इंडिया, के-40 ए, साकेत, नई दिल्ली- 110 017

सदस्य

सदस्य सचिव

 अभिलेख उप-निदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष, अनुदान समिति किसी विशेषज्ञ (जों)/पेशेवर (रों) को जो प्रस्ताव (वों) के भाषा/तकनीकी पहलुओं पर अपनी विशेषज्ञ राय दे सकते हैं, को अनुदान समिति की बैठकों में आमंत्रित कर सकते हैं।

- 2. <u>कार्यकाल</u> अनुदान समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वितीय वर्षों के लिए होगा जो कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होगा। सदस्य बाद की अविध में पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगे।
- 3. <u>बैठक</u>ें अनुदान समिति की बैठकें एक वितीय वर्ष में कम से कम दो बार नई दिल्ली में होंगी। बैठकों की तारीख के बारे में समिति के सदस्यों को पहले ही सूचित कर दिया जाएगा।
- 4. कार्य अनुदान समिति इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की शर्तों के अनुसार वितीय सहायता पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं जिनमे निजी महाविद्यालय, निजी पुस्तकालय और संग्रहालय, विश्वविद्यालय/मानितविश्वविद्यालय और ट्यिक शामिल है, को उनके पास उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों, चार्टो व मानचित्रों के वैज्ञानिक पिररक्षण/संरक्षण/मरम्मत पुनःस्थापन, माइक्रोफिल्मिंग सूचीकरण, कैटेलागिंग, मूल्याकन, अनुवाद एवं प्रकाशन/पुनर्मद्रण एवं पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों की खरीद के लिए प्राप्त आवेदनों पर भी सहायता उपलब्ध कराने हेतु विचार करेगी। इसके अलावा, अभिलेखीय छायाचित्र एंच मुद्रणों (ओलियोग्राफ तथा लिथोग्राफ सहित) के लिए भी वितीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों के पिररक्षण के लिए अपेक्षित मदों जैसे वातानुकूलन, वैक्यूम क्लीनर्स, फयूमीगेशन चैम्बर्स एवं उपचार हेतु रसायन खरीद हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों, अभिलेखीय छायाचित्रों तथा मुद्रण के डिजीटाइजेशन (डिजीटाइजेशन जॉब वर्क के साथ-साथ उपकरणों अर्थात कैमरा, स्कैनर, कंप्युटर, प्रिंटर एवं कॉपियर की खरीद हेतु समर्थन सहित) के लिए भी वितीय सहायता दी जाएगी।
- 5. प्रक्रिया पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों के आवेदन पत्र योजना के अनुसार निर्धारित प्रारूप में राज्य स्तर स्क्रीनिंग कमेटी/राज्य अभिलेखागार के माध्यम से प्राप्त किये जायेगें। राज्य स्तर स्क्रीनिंग कमेटी/ राज्य अभिलेखागार अपनी विशेष सिफारिशों के साथ ऐसे आवेदन पत्रों को अध्यक्ष, अनुदान सिमिति, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110 001 को भेजें। विश्वविद्यालय (मानद विश्वविद्यालय सिहत) अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से सीधे ही आवेदन पत्र भेजें। निजी महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय से संबद्ध रखते हों, वे भी अपने आवेदन पत्र संबन्धित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के माध्यम से भेजे। इस योजना में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों को आवेदन पत्रों के साथ संलग्न करके भेजना चाहिए।

6. भता - बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को नियमानुसार यात्रा/दैनिक भता दिया जायेगा।

(डा. एम. ए. हक )

अभिलेख-उप-निदेशक

सदस्य सचिव (अनुदान)

भारत सरकार।

प्रतिलिपि: - सभी सदस्यों को वित्तीय सहायता योजना की एक प्रति सहित।